न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म० प्र०)

प्रकरण क्रमांक

निगरानी-3846/2018/नीमच/भू.रा

(1) कान्तिलाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्मण,
आयु-73 वर्ष, व्यवसाय-पेंशनर व कृषि
निवासी-ग्राम दारू हाल मुकाम स्कीम नंबर
36-ए मकान नंबर-598 नीमच (म० प्र०)

(2) विष्णु पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्मण,
आयु-56 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-
ग्राम दारू, हाल मुकाम सरकारी अस्पताल
के सामने, धोलापानी दवाजा छोटी सादड़ी (राज०)

(3) शोभालाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्मण,
आयु-62 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-
ग्राम दारू हाल मुकाम सुदामा नगर, मकान
नंबर-2785, इन्दौर (म० प्र०)

(4) रमेश पिता रामचन्द्रजी जाति ब्राहम्मण,
आयु-50 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-
ग्राम दारू हाल मुकाम शासकीय चिकित्सालय
शामगढ़ जिला मन्दसौर (म० प्र०)

(5) शीलाबाई पिता रामचन्द्रजी जाति ब्राहम्मण,
आयु-65 वर्ष, निवासी-व्यास मोहल्ला
शामगढ़ जिला मन्दसौर (म० प्र०)

(6) रूकमणबाई पति रामचन्द्र जाति ब्राहम्मण
आयु-90 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-
ग्राम दारू तहसील व जिला नीमच (म० प्र०) ---- आवेदकगण

विरूद्ध

(1) भूलीबाई पति भागीरथजी जाति ब्राहम्मण
आयु-वयस्क, व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम दारू

(2) गोपाल पिता भागीरथजी जाति ब्राहम्मण
आयु-वयस्क, व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम दारू

(3) गजेन्द्र पिता भागीरथी जाति ब्राहम्मण
निवासी-ग्राम दारू तहसील नीमच

निरन्तर पेज 2 पर ...

शीला देवी

विष्णु पुरोहित

रमेशचन्द्र पुरोहित

Kantilal S/o Ramchand

आवेदक

(4) श्यामसुन्दर पिता भागीरथजी दुबे,
जाति-ब्राहम्मण, आयु-वयस्क, व्यवसाय-
कृषि, निवासी-ग्राम दारू, तहसील व
जिला नीमच (म0,प्र0)

(5) मध्य प्रदेश शासन ———— अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

अधिनस्थ पटवारी के द्वारा ग्राम दारू तहसील व जिला नीमच में सर्वे नंबर 545, 565, 566, 567, 568 कुल रकबा 2.79 हेक्टर का सीमांकन दिनांक 31/05/2018 को अवैधानिक तौर पर किये जाने से दुखित व असंतुष्ट होकर याचिका पेश है

मान्यवर महोदय,

सेवा में आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :- यह कि अनावेदकगण के द्वारा ग्राम दारू तहसील नीमच में सर्वे नंबर 545, 565, 566, 567, 568 कुल रकबा 2.79 हेक्टर के सीमांकन किये जाने बाबत श्रीमान तहसीलदार महोदय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर से सीमांकन की कार्यवाही की गई । सीमांकन मौजा पटवारी व एक अन्य पटवारी के द्वारा की गई । पंचनामा व सीमांकन दिनांक - 31/05/2018 को बनाये गये तथा उभयपक्षों को सूचना पत्र दिनांक 28/05/2018 को दिये गये तथा खेत पर सीमांकन कर आवेदकगण की भूमि पर पत्थर गाढ़े गये । जिसकी वैधानिक समय सीमा में निगरानी न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं ।

निगरानी के आधार

(1) यह कि दिनांक 31/05/2018 को किये गये सीमांकन प्राकृतिक

निरन्तर पेज 3 पर ...

रमेशचन्द्र पुरोहित शीलादेवी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3846/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/07/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम दारू तह0 नीमच स्थित भूमि सर्वे नं. 545, 565, 566, 567, 568 रकवा 2.79 हे. भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही के दौरान प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन हल्का पटवारी दारू द्वारा दिनांक 31.05.2018 को आवेदक एवं सरहदी कृषकों की उपस्थिति में जरीब द्वारा नापकर विधिवत सीमांकन किया गया एवं सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार को भेजा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधार हीन होने से अग्राह्य की जाती है। (3) प्रशासकीय सदस्य	